

धौलपुर (राज०)

10/12
2024

वकील उमपपत्र उफन बहस हेतु सपद-पाठ्य पत्रावली प्रवर्तन
दिया जा चुका है। और प्रवर्तन दिया जाना उचित नहीं समझा है।
पत्रावली का प्रवर्तन किया गया है वर्ष 2024 के अन्तर्गत
निर्देशानुसार हेतु लक्षित है। पत्रावली के प्रवर्तन के अन्तर्गत
संबन्धित लापल के पत्र में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रवर्तन
लापल प्रवर्तन किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत
नगर के अन्तर्गत प्रवर्तन वरुदा की पत्रावली के अन्तर्गत

2.

उपखण्ड अधिकारी

धौलपुर (राज०)